

परिशिष्ट

अविद्युतीकृत घरों/बसाहटों/मजरो/टोलों के विद्युतीकरण के संबंध में
दिशा-निर्देश

(i) पीएम जनमन, DA-JUGA एवं अन्य योजनाओं में निर्मित/स्वीकृत अधोसंरचना से संबंधित ऑनलाईन कनेक्शन की सीमा तक के सभी अविद्युतीकृत घरों को प्रचलित नियमों/प्रक्रिया अनुसार विधिवत कनेक्शन प्रदान किए जाए।

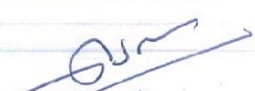
(ii) शेष अविद्युतीकृत घरों/बसाहटों के विद्युतीकरण के लिए निम्नानुसार विस्तृत सर्वे किया जाये:-

(क) 5 घरों से अधिक की अविद्युतीकृत बसाहटों एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत बसाहटों में स्थित अविद्युतीकृत घरों को विद्युतीकरण हेतु किए जाने वाले सर्वे में शामिल किया जाये।

(ख) उक्त बसाहटों में स्थित अविद्युतीकृत सार्वजनिक शासकीय संस्थाओं जैसे सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, शाला भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, वनधन विकास केन्द्र इत्यादि को सर्वे में शामिल किया जाये।

(ग) आबादी क्षेत्रों में बने घरों को ही सर्वे में शामिल किया जाये। खेतों में बने घरों को सर्वे से पृथक रखा जाये।

(घ) अस्थायी शिविरों में रहने वाले परिवारों को सर्वे में शामिल नहीं किया जाये।


अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, भोपाल